(1)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(मानव अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल.

कमांक एफ 7–55/2014/1/माअप्र. भोपाल, दि0 12.01.2015

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश शासन,

विषय– **प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में ।**

उपरोक्त विषय के संबंध में आयोग के निर्देशों का कृपया अवलोकन करे।(प्रति संलग्न है) आयोग ने लेख किया है कि ऐसे कई प्रकरण आयोग के सामने आये है, जिनमें पेंशन व अन्य स्वत्व मिलने में अत्यधिक विलंब किया गया है। यदि सेवापुस्तिका की डुप्लीकेट पुस्तिका निर्माण आवश्यक है तो कृपया निर्माण संबंधी कार्यवाही एक निश्चित अवधि में पूर्ण कर ली जाये, ताकि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी न हो। ऐसे जितने भी प्रकरण आपके विभाग में लंबित है, उनमें एक निश्चित अवधि में निराकरण कराने की व्यवस्था करें।

उक्त निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए समय–सीमा में विषयान्तर्गत पेंशन प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(बी.आर.विश्वकर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग(माअप्र)
भोपाल, दि0 12.01.2015

कमांक एफ 7–55/2014/1/माअप्र.
प्रतिलिपि–

सचिव, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की ओर उनके पत्र क0 26132/माअआ/वि.शा./276/नीमच/12, दि0 09.12.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग(माअप्र)

1341

F7-55/2014

②

1725
19/12/14

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

पर्यावास भवन, खण्ड–1, प्रथम तल, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक 26132 / माआआ / वि.शा. / 276 / नीमच / 12 भोपाल, दिनॉक 09/12/14

मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन,
मंत्रालय,
~~दिल्ली~~ भोपाल(म.प्र.)

मुख्य सचिव कार्यालय
CS/Gen-Cp/7036
Date 16-12-2014

15 DEC 2014
ACS, Finance
PS, GAD (HR)

विषयः– श्री राजेंद्र सिंह– पैंशन प्रकरणों के निराकरण बाबत।

माननीय आयोग के निर्देश दिनांक 31.10.14 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर आदेशानुसार लेख है कि– ऐसे कई और भी प्रकरण आयोग के सामने आये है जिनमें पेंशन व अन्य स्वत्व मिलने में अत्यधिक विलम्ब किया गया है इसलिए आप सभी विभागों व विभाग प्रमुखों को इस संबंध में निर्देश दें कि वे सेवा पुस्तिका की डुप्लीकेट पुस्तिका निर्माण संबंधी कार्यवाही एक निश्चित अवधि में पूर्ण किया करें जिससे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी न हो। ऐसे जितने भी प्रकरण प्रदेश में लंबित हैं, उनमें एक निश्चित अवधि मे निराकरण कराने के निर्देश मुख्य सचिव की ओर से जारी किये जाने से कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण होगी।

संलग्न आदेश की प्रति,

मा. आयोग के आदेशानुसार

17 DEC 2014
DS-V

18/12/14

उप सचिव
मानव अधिकार आयोग
भोपाल

19-12-2014